भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 56
09 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन

***56. श्री कुलदीप राय शर्मा:**
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) एनएचएम के तहत महाराष्ट्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जन स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएचएम के तहत प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग की जांच करने और उनकी प्रगति को मापने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) एनएचएम के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

09 दिसंबर, 2022 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 56 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): विगत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जारी की गई और प्रयोग की गई निधियों का महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक एनएचएम के तहत स्थापित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

एनएचएम के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्रस्ताव एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त किए जाते हैं और भारत सरकार मानदंडों तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से पीआईपी के रूप में प्राप्त हुए प्रस्तावों को उनके समग्र संसाधन दायरे के भीतर भारत सरकार द्वारा राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अधिकारियों की सहभागिता में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठकों में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन दिया जाता है।

सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के विगत तीन वर्षों की पीआईपी और आरओपी का ब्यौरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट अर्थात https://nhm.gov.in पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार दिया गया है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, इसलिए स्कीम के उचित उपयोग का प्राथमिक दायित्व राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। एनएचएम के तहत, निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा,
- सीएंडएजी में पैनलबद्ध और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों की लेखापरीक्षा करने के लिए पात्र फर्मों द्वारा वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा,

- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा,
- उसी समय निधियों का पता लगाने के लिए एनएचएम में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस),
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्तीय निगरानी रिपोर्टों (एफएमआर) और निधि स्थिति विवरण (एसएफपी) की प्रस्तुति,
- स्कीम के घटकों की समीक्षा और निगरानी।

एनएचएम के तहत, एनएचएम के कार्यान्वयन और इसकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं जैसे कि:

- एनपीसीसी की बैठकों के दौरान पिछले वित्त वर्ष के रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के प्रमुख प्रदेयों की समीक्षा,
- सामान्य समीक्षा मिशन, जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय प्रणालियां और तंत्रों को देखता है, द्वारा राज्यों के वार्षिक दौरे। 14वें सीआरएम की रिपोर्ट आम जानकारी के लिए निम्नानुसार उपलब्ध है:
  https://nhm.gov.in/New_Updates_2018/Monitoring/14th_CRM/14th_CRM.pdf
- निधियों की निगरानी और इनके प्रबंधन के लिए पीएफएमएस का कार्यान्वयन।
- मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी दौरे।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण और नमूना पंजीकरण प्रणाली जैसे बाह्य सर्वेक्षणों के माध्यम से एनएचएम के कार्यान्वयन की समीक्षा/ मूल्यांकन भी करती है। एनएचएम के तहत प्रगति की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक-III में दी गई है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार केंद्रीय निर्गत राशि और इसका उपयोग

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22	
		केंद्रीय निर्गत राशि	उपयोग	केंद्रीय निर्गत राशि	उपयोग	केंद्रीय निर्गत राशि	उपयोग
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34.92	41.66	36.91	42.68	43.68	31.20
2	आंध्र प्रदेश	1111.07	1820.15	1097.81	2385.48	1199.37	2448.67
3	अरुणाचल प्रदेश	185.95	186.21	243.04	209.06	188.53	248.51
4	असम	1749.24	1856.33	1807.48	1846.86	1955.93	2194.36
5	बिहार	1510.68	2842.26	1814.63	2415.34	1748.76	1905.35
6	चंडीगढ़	22.77	20.97	22.21	19.52	17.47	26.86
7	छत्तीसगढ़	816.07	1464.47	979.41	1521.30	969.61	1833.45
8	दादरा और नगर हवेली	25.33	23.67	36.39	35.74	38.59	45.02
9	दमन और दीव	16.79	11.36				
10	दिल्ली	138.74	173.28	125.73	210.83	127.37	237.79
11	गोवा	35.47	58.47	34.81	67.43	26.01	60.56
12	गुजरात	1110.80	1864.73	1005.66	1894.46	1094.48	1835.81
13	हरियाणा	567.71	792.64	531.50	829.12	577.07	879.91
14	हिमाचल प्रदेश	504.84	469.60	441.94	425.58	555.09	525.09
15	जम्मू और कश्मीर	702.20	662.56	667.46	657.53	459.10	779.61
16	झारखंड	830.63	1090.11	602.80	999.71	640.18	1176.55
17	कर्नाटक	1173.77	2384.28	1232.19	2320.37	1274.71	2200.92
18	केरल	836.14	1023.94	788.22	1457.75	771.47	1230.96
19	लक्षद्वीप	6.16	6.55	7.11	6.99	8.41	7.26
20	मध्य प्रदेश	1728.73	3102.89	2377.14	3397.82	2295.66	3714.92
21	महाराष्ट्र	1724.99	3097.08	1833.59	3503.62	1769.67	4227.31
22	मणिपुर	185.65	196.06	189.49	112.79	95.59	154.09
23	मेघालय	141.17	166.24	202.63	213.36	282.46	227.08
24	मिजोरम	127.24	105.70	143.73	131.36	93.82	153.16
25	नगालैंड	123.23	130.37	188.21	159.72	126.66	192.16
26	ओडिशा	1475.14	2220.82	1617.63	2347.24	1263.07	2587.72
27	पुदुचेरी	31.56	44.21	25.55	47.32	21.33	46.36
28	पंजाब	712.02	923.31	568.14	908.98	349.21	918.96
29	राजस्थान	1781.83	2559.51	2000.58	2943.21	1924.95	3230.01
30	सिक्किम	53.55	54.84	70.13	52.06	51.86	46.06
31	तमिलनाडु	1424.22	2557.62	1522.71	2172.33	1631.91	3039.39
32	त्रिपुरा	239.47	208.37	225.91	249.74	217.95	237.24
33	उत्तर प्रदेश	4749.05	7453.90	3772.95	7080.45	3235.46	6210.20
34	उत्तराखंड	348.83	504.02	583.25	503.53	553.47	606.07
35	पश्चिम बंगाल	1749.32	2340.84	1895.01	2598.62	1654.26	2229.46
36	तेलंगाना	964.34	949.96	671.88	1354.93	725.67	1556.65
37	लद्दाख	0.00	0.00	91.89	38.56	44.79	62.81

नोट:

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) नामक दो उप मिशन हैं।
2. उपर्युक्त निर्गत राशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।
3. व्यय में वर्ष के प्रारंभ में केंद्रीय निर्गत राशि, राज्य निर्गत राशि और अव्ययित शेष राशियों में से किया गया व्यय शामिल है। यह व्यय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई और उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार है।
4. जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्गठित होने के बाद, 2020-21 के दौरान पहली बार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम निधियां संवितरित की गई थीं।

अनुलग्नक-II

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यशील पीएचसी और सीएचसी की संख्या							
सुविधाएँ	**अवस्थिति**	**महाराष्ट्र**			**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**		
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
		(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)	**(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार)**	**(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)**	**(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)**	**(31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार)**	**(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)**
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	ग्रामीण	1828	1829	1839	22	22	22
	शहरी	538	846	651	2	5	5
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	ग्रामीण	364	278	270	4	4	4
	शहरी	37	140	131	0	0	0

डाटा सोर्स: ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी

अनुलग्नक-III

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वास्तविक उपलब्धि/ प्रगति का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (30.06.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में					ग्रामीण क्षेत्रों में		
		स्वास्थ्य मानव संसाधनों का संवर्द्धन	मोबाइल चिकित्सा इकाइयां (कार्यशील)	एंबुलेंसें (कार्यशील)	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)	रोगी कल्याण समितियों की स्थापना	24X7 आधार पर कार्यरत पीएचसी की संख्या	कार्यशील प्रथम रेफरल इकाइयां (एफआरयू)	गठित की गई ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियां
1	बिहार	10692	0	1186	92867	1927	496	66	8406
2	छत्तीसगढ़	6630	30	624	72002	996	265	37	19180
3	हिमाचल प्रदेश	1164	12	404	7964	784	0	24	7916
4	जम्मू और कश्मीर	8422	10	489	12686	741	190	59	6494
5	झारखंड	8119	56	1970	47223	586	114	51	30012
6	मध्य प्रदेश	19474	0	1237	83614	1793	771	148	49567
7	ओडिशा	5771	9	1130	48977	1809	115	75	46064
8	राजस्थान	6625	299	1484	53676	3550	1179	83	43440
9	उत्तर प्रदेश	32320	170	4720	166824	1790	439	334	72880
10	उत्तराखंड	3956	16	400	12018	325	87	50	14915
11	अरुणाचल प्रदेश	1914	16	240	4143	228	64	14	3772
12	असम	16362	130	1035	32670	1249	314	70	28149
13	मणिपुर	1526	9	33	4009	132	66	7	3878
14	मेघालय	1520	4	50	7311	173	65	9	6310
15	मिजोरम	1203	9	62	1099	86	41	15	830
16	नगालैंड	972	11	93	2038	175	33	15	1346
17	सिक्किम	375	0	9	676	30	24	3	641
18	त्रिपुरा	489	0	50	8118	158	83	13	1178
19	आंध्र प्रदेश	8238	67	628	43137	1390	1142	249	13065
20	गोवा	463	0	29	0	37	13	2	247
21	गुजरात	11639	74	418	49549	2219	511	130	17648
22	हरयाणा	9276	59	636	23954	656	241	39	6049
23	कर्नाटक	15114	8	893	41544	2904	960	173	26087
24	केरल	5595	31	315	30724	1323	171	87	19692
25	महाराष्ट्र	20500	30	3644	69236	3552	1591	268	39770
26	पंजाब	4508	33	0	21972	749	211	185	12982
27	तमिलनाडु	33061	425	1284	5434	2595	1316	576	15015
28	तेलंगाना	10942	0	476	32854	964	314	116	10434
29	पश्चिम बंगाल	18500	49	3152	64904	1105	234	154	48429
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	356	0	26	422	33	20	1	275
31	चंडीगढ़	381	0	6	0	6	0	4	0
32	दादरा और नगर हवेली / दमन और दीव	438	3	11	700	12	9	8	89
33	दिल्ली	1662	2	220	8942	33	1	32	0
34	लद्दाख	1212	1	18	608	42	12	7	247
35	लक्षद्वीप	159	0	0	110	9	4	9	9
36	पुदुचेरी	409	4	11	317	49	23	4	100
कुल		**269987**	**1567**	**26983**	**1052322**	**34210**	**11119**	**3117**	**555116**

स्रोत: - एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट, 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार

*****